

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक पं. 3 (28) न.वि.वि./3/96

जयपुर, दिनांक : 14 जून, 2000

परिपत्र

विषय :- जयपुर के मास्टर डवलपमेन्ट प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 90 की उपधारा 2 एवं 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए निम्न संशोधनों के साथ राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 जिनका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 4 अप्रैल, 2000 को हुआ है, को पारित करती है। उक्त नियमों की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

उपरोक्त नियमों के नियम 5 (ii) में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय विधायक	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
3. सचिव, ज.वि.प्रा.	सदस्य
4. निदेशक, नगर आयोजना, ज.वि.प्रा.	सदस्य सचिव

नियम 5 (iii) में वर्णित राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है। इस समिति के निर्णयों का अनुमोदन मंत्री नगरीय विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।

1. शासन सचिव, नगरीय विकास	अध्यक्ष
2. उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	सदस्य
3. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	सदस्य सचिव

बिन्दु संख्या 6 में नियम 5 (ii) के तहत गठित समितियों को 1500 वर्गगज तक के क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु अधिकृत किया जाता है। इससे अधिक क्षेत्र का उपयोग परिवर्तन करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति को होगा।

भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में जयपुर विकास प्राधिकरण के योजना क्षेत्रों तथा जयपुर

नगर निगम की सीमा के बाहर के क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा तथा जयपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के नगर निगम को प्राधिकरण की ऐसी योजनाओं, जो उन्हें हस्तान्तरित नहीं हुयी है, को छोड़ते हुए भू-उपयोग परिवर्तन निदेशक, स्थानीय निकाय की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जायेगा। यह समिति 1500 वर्गगज तक भू-उपयोग परिवर्तन कर सकेगी। इन प्रकरण में प्राप्त राशि भी उपरोक्तानुसार अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण तथा जयपुर नगर निगम में जमा करायी जावेगी।

भू प्रयोग परिवर्तन में ऐसे प्रकरण जिनमें निर्माण कार्य मास्टर प्लान/मास्टर प्लान के उपयोग के विपरीत दिनांक 4 अप्रैल, 2000 तक कर लिया गया है। उनमें भू-उपयोग परिवर्तन के लिए सम्बन्धित समिति को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 30.9.2000 तक होगी। इस अवधि तक सामान्य दर से कुल देय राशि जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट दी जावेगी। ऐसे में आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित समितियों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में दिनांक 4 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जावेगा।

सही/-

उप शासन सचिव